

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-99 / 2020-21

1. अनिता कुमारी, पति-गणेश बनर्जी,
निवास स्थान-म०सं०-22 तुपुदाना,
पो०-हटिया, थाना-धुर्वा, जिला-राँची।.....अपीलार्थी।
बनाम
1. झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय बुण्डू.....विपक्षी।

आदेश

19.11.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-123 R27/2017-2018 में दिनांक-12.12.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
गोसाईंडीह	बुण्डू	13	97	224	16.03 डिसमील

चौहद्दी:-उ०-भोला पातर, द०-विक्रेता का नीज, पू०-अर्जुन पातर, प०-रीतेश अधिकारी।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-123 R27/2017-2018 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया जिसमें अंचल अधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक मूल कागजातों के साथ उपस्थित नहीं हुए। अतएव इसी आधार पर नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी ने उपरोक्त वर्णित भूमि को विक्रेता-शरद अधिकारी, पिता-स्व० राममोहन अधिकारी, ग्राम-गोसाईंडीह के हाथ से निबंधित डीड नं.-123 द्वारा दिनांक-30.04.2013 को क्रय किया है, एवं क्रय करने के पश्चात उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार है। उक्त भूमि के नामांतरण वाद में सुनवाई की तिथि को अपीलार्थी मूल कागजातों के साथ उपस्थित नहीं हो सकी जिसके कारण नामांतरण वाद अस्वीकृत कर दिया गया। अतः अनुरोध है कि इस अपील वाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय को उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज अपीलकर्ता के नाम से करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

अतः अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनके राजस्व दस्तावेजों की जाँच-पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

1124(ii)/20
31.12.2020